

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...../2022

05.11.2022

आवेदिका शकिला खातुन पति कबीरउद्दीन एवं जैबुन निशा पति मुस्ताक खॉ साकिन-असनाबाद,वार्ड नं०-12/06, पोस्ट-करमा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
असना	245	33	1410	04 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक/...../2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

12.11.22

अभिलेख उपस्थापित।

7.11.2022

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-33, प्लॉट सं०-1410, रकवा-04 डी० भूमि शकीला खातुन पति कबीरउद्दीन एवं जैबुन निशा पति मुस्ताक खॉ के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-76 भाग सं०-21 पर दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-1125 /2010-11 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-6010 दिनांक-24.09.2010 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष- 2020-21 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-05 दिनांक-05.08.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-33, प्लॉट सं०-1410, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना नं०-245, खाता सं०-33, प्लॉट सं०-1410, रकवा-04 डी० निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा